

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0कं0—580 / 2012  
संस्थित दिनांक—16.07.2012  
फाइलिंग नं.—234503000542012

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी

आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

**!! विरुद्ध !!**

1. कोमल पिता आनन्दीलाल पारधी, उम्र—38 साल  
निवासी—खरपड़िया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट,
2. वीरभद्र पिता चन्दनलाल शरणागत, उम्र—50 साल,  
निवासी—झिरिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट।

.....आरोपीगण

**!! निर्णय !!**

( दिनांक 21/06/2018 को घोषित किया गया )

1. उपरोक्त नामांकित आरोपी कोमल पर दिनांक 10.05.2012 को समय शाम 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा ग्राम झिरिया लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0463 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहत चैनसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने, उक्त मोटर सायकल को बगैर अनुज्ञा पत्र एवं बीमा के चालन करने, दुर्घटना के बाद वाहन को छोड़कर भाग जाने एवं आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाने एवं 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना न देने तथा आरोपी वीरभद्र पर उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी कोमल के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होते हुए उसे अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को चलाने देने, बगैर बीमा के वाहन चलाने देने, इस प्रकार आरोपी कोमल पर धारा 279, 338 भा.दं.वि. एवं धारा 3/181, 146/196, 134/187 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी वीरभद्र पर धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

2. प्रकरण में अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 10.05.2012 को शाम 7:00 बजे आहत चैनसिंह ग्राम झिरिया से

ग्राम चीनी जा रहा था, उसी समय ग्राम खरपड़िया निवासी आरोपी कोमल अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0463 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और फरियादी को टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से फरियादी सड़क पर गिर गया और उसे चोटें आईं। फरियादी का पैर टूट गया। आरोपी मोटर सायकिल लेकर वहाँ से चला गया। घटना के उपरांत थाना परसवाड़ा में फरियादी चैनसिंह ने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक-48/12 धारा 279, 337 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी के वाहन को जप्त किया गया। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आवश्यक अन्वेषण उपरांत आहत चैनसिंह को गंभीर उपहति होने तथा आरोपी कोमल के पास वाहन चलाने का लायसेंस एवं बीमा न होने से धारा 338 भा.दं.वि. एवं 3/181, 5/180, 146/196, 134/187 मोटर यान अधिनियम का ईजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है व बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फसाया गया है। आरोपीगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं-

1. क्या आरोपी कोमल ने दिनांक 10.05.2012 को समय शाम 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा ग्राम झिरिया लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0463 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी कोमल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहत चैनसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी कोमल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर अनुज्ञा पत्र एवं बीमा के चालन किया ?
4. क्या आरोपी कोमल ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटना के

बाद वाहन को छोड़कर भाग गया एवं आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया एवं 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना नहीं दिया ?

5. क्या आरोपी वीरभद्र ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटर सायकल को बगैर अनुज्ञा पत्र एवं बीमा के आरोपी कोमल से चालन करवाया था ?

—::— निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के तथ्य —::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत 06

6. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या दुर्घटना में आहत चैनसिंह को घोर उपहति कारित हुई थी। फरियादी चैनसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व वह सायकिल से जा रहा था, तब मोटर सायकिल चालक ने उसे टक्कर मार दिया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। संतोष अ.सा.04 ने भी बताया है कि चैनसिंह दुर्घटना से सड़क पर गिरा हुआ पड़ा था। मोहपत अ.सा.05 ने बताया है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे चैनसिंह का दुर्घटना हुआ था और उसके पैर में चोट लगी थी। बैरागसिंह अ.सा.06 ने बताया है कि घटना के दिन चैनसिंह सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा था और उसके पैर में चोट आई थी। नोहरसिंह अ.सा.07 ने भी बताया है कि लगभग पांच वर्ष पूर्व चैनसिंह सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा था और उसके पैर में चोट आई थी। आहत चैनसिंह के पैर टूटने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

7. डॉ० वासु क्षत्रिय अ.सा.11 ने बताया है कि दिनांक 15.05.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में आरक्षक अनिल शर्मा के द्वारा लाये जाने पर आहत चैनसिंह पिता धरमसिंह, उम्र-40 वर्ष, निवासी झिरिया परसवाड़ा का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के दांये पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जिसे जांच के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट प्र.पी.07 है। डॉ० डी०के० राउत अ.सा.10 ने बताया है कि दिनांक 23.06.2012 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 16.05.2012 को एक्स-रे टेक्नीशियन ए०के० सेन ने

आहत चैनसिंह पिता धरमसिंह, उम्र-40 वर्ष, निवासी झिरिया परसवाड़ा का दाहिने पैर एवं घुटने के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1913 था। डॉ० आर०के० नकरा ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उक्त एक्स-रे को परीक्षण हेतु आरक्षक विजय लेकर आया था। एक्स-रे प्लेट के परीक्षण करने पर आहत के दाहिने पैर की टिबिया एवं फिबुला हड्डी के उपरी भाग में अस्थिभंग होना पाया था तथा केलस नहीं बना था। उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट प्र.पी.06 है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चलती हुई सायकिल से बलपूर्वक गिरने से उक्त चोट आ सकती है, किन्तु चोट के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे आहत चैनसिंह को घोर उपहति होना प्रमाणित है।

8. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0463 को चलाकर दुर्घटना कारित किया गया। फरियादी चैनसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी कोमल को जानता है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व ग्राम झिरिया की है। वह अपनी सायकिल से जा रहा था और जैसे ही ताराचंद के खेत के पास सायकिल से पहुँचा तो आरोपी कोमल ने अपर-डिपर लाईट करते हुए मोटर सायकिल से उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। उसका ईलाज बाहकल में हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना परसवाड़ा में दर्ज करवाया था। पुलिस ने नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था और उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर बताया है कि आरोपी तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दिया, किन्तु इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का लिखित आवेदन देने से इंकार किया है।

9. चैनसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपी तेजी व लापरवाही से वाहन चला रहा था, किन्तु वाहन कितनी तेजी से चल रही थी इसके अलावा आरोपी वाहन चलाने में क्या लापरवाही थी नहीं बताया है। मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी अपर-डिपर लाईट करते हुए उसे टक्कर मारा, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में फरियादी चैनसिंह ने अपर-डिपर लाईट मारकर टक्कर मारने के संबंध में कोई बात लेखबद्ध नहीं कराया है। फरियादी चैनसिंह



ने लिखित आवेदन प्र.पी.01 देने से भी इंकार किया है। अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित आवेदन का समर्थन स्वयं फरियादी चैनसिंह ने नहीं किया है, जबकि लिखित आवेदन पत्र प्र.पी.03 के आधार पर ही प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध की गई थी। चैनसिंह अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह ग्राम झिरिया से ग्राम चीनी अकेले जा रहा था। घटना के समय अंधेरा हो गया था और वह सायकिल से अकेले जा रहा था तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसे सामने से आने वाले वाहन का लाईट चालू बंद होना समझ में आया तो वह गिर गया था और उठकर देखा था, वहाँ एक मोटर सायकिल खड़ी थी, जिसमें आरोपी कोमल था। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये कथन से यह प्रकट होता है कि सामने से आने वाले वाहन के लाईट बंद-चालू होने से वह गिरा था।

**10.** अघहन अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी कोमल एवं फरियादी चैनसिंह दोनों को जानता है। घटना दो-तीन वर्ष पूर्व ग्राम झिरिया की है। वह घटना दिनांक को शौच के लिए बाहर गया था, तो एक्सीडेंट होने के कारण चैनसिंह तड़प रहा था। फिर उसने चैनसिंह की पत्नि को सूचना दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं दुर्घटना होते हुए नहीं देखा था। उसने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन भी नहीं दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**11.** ताराबाई अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी कोमल को जानती है। आहत चैनसिंह उसका पति है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। वह अपने घर पर थी, तभी अघहन ने आकर उसके पति चैनसिंह के दुर्घटना के बारे में बताया था। फिर गाड़ी बैल ले जाकर पति को उठाकर लाये और उसका प्राइवेट ईलाज करवाये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना होते नहीं देखा है। दुर्घटना के समय कौन वाहन चला रहा था

उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार यह साक्षी भी घटना की अनुश्रुत साक्षी है आरोपी द्वारा दुर्घटना करने के बारे में इस साक्षी ने भी नहीं बताया है।

**12.** संतोष राउत अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी कोमल को नहीं जानता है तथा आरोपी वीरभद्र को जानता है। आहत चैनसिंह को भी वह जानता है। घटना लगभग चार वर्ष पूर्व शाम 7:00 बजे ग्राम झिरिया में रास्ते की है। वह अपने बैल को सिखाने गया था, तो उसे सड़क पर चैनसिंह गिरा हुआ दिखा था, जिसकी सूचना उसने चैनसिंह के घर में दिया था। बाद में पता चला कि चैनसिंह का गाड़ी से दुर्घटना हुआ था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उसे आहत चैनसिंह ने आरोपी कोमल द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटर सायकिल चलाकर दुर्घटना करने के बारे में बताया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**13.** मोहपत अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। लगभग तीन वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे उसे अघहन ने चैनसिंह के दुर्घटना के बारे में बताया था, तब वह बैलगाड़ी में चैनसिंह को बैठाकर लाया था। चैनसिंह ने उसे बताया था कि आरोपी कोमल मोटर सायकिल को लहराते हुए उसके सामने सायकिल को टक्कर मार दिया। चैनसिंह ने आरोपी कोमल की गलती से दुर्घटना होना बताया था। यह साक्षी भी अनुश्रुत साक्षी है। स्वयं फरियादी चैनसिंह ने आरोपी द्वारा लहराकर मोटर सायकिल चलाने के बारे में नहीं बताया है। मोहपत अ.सा.05 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि चैनसिंह ने कोमल के वाहन की गति के बारे में नहीं बताया था और घटना किसकी गलती से हुई यह भी नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं होता है।

**14.** बैरागसिंह अ.सा.06 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना के दिन शाम 7-8 बजे उसे चैनसिंह की दुर्घटना की जानकारी हुई, तब वह घटनास्थल पर गया था, जहाँ पर चैनसिंह घायल अवस्था में गिरा पड़ा था तथा उसके पैर में चोट आई थी। चैनसिंह का मोटर

सायकिल से दुर्घटना हुआ था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। घटना किस मोटर सायकिल से हुई और कौन वाहन चालक था उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**15.** नोहरसिंह अ.सा.07 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना पांच वर्ष पूर्व शाम 7-8 बजे की है। चैनसिंह सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पैर में चोट आई थी। चैनसिंह का दुपहिया वाहन से दुर्घटना हुआ था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। घटना किस मोटर सायकिल से हुई और कौन वाहन चालक था उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**16.** मेवालाल अ.सा.08 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 10.05.2012 को रात 1:00 बजे चैनसिंह को ईलाज के लिए उसके पास लाये थे। इससे इंकार किया है कि उसे चैनसिंह ने आरोपी कोमल द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटर सायकिल चलाकर दुर्घटना करने के बारे में बताया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**17.** जनमतसिंह अ.सा.09 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 10.05.2012 को शाम 7:00 बजे वह गिरमाजी एवं कोमल हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए 0463 से ग्राम झिरिया जा रहे थे, जिसे आरोपी कोमल चला रहा था। इससे इंकार किया है कि आरोपी कोमल ने तेजी व लापरवाही से मोटर सायकिल चलाकर चैनसिंह की दुर्घटना कारित किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का

समर्थन नहीं किया है।

**18.** येशुन्दलाल बाहेश्वर अ.सा.12 ने बताया है कि दिनांक 15.05.2012 को थाना परसवाड़ा के अपराध क्रमांक 48/12 धारा 279, 337 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान चैनसिंह की निशादेही पर नक्शा मौका प्र.पी.02 तैयार किया था। दिनांक 28.05.2012 को आरोपी कोमल से हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एमपी.50बी.ए.0463 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। आरोपी कोमल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया था। विवेचना के दौरान चैनसिंह, अघहन, ताराबाई, संतोष, मोहपत, नोहरसिंह, बैरागसिंह, ज्ञानीलाल, जनमत एवं मेवालाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि साक्षियों के कथन उसने अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था।

**19.** इस प्रकार चैनसिंह अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह ग्राम झिरिया से ग्राम चीनी अकेले जा रहा था। घटना के समय अंधेरा हो गया था और वह सायकिल से अकेले जा रहा था तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसे सामने से आने वाले वाहन का लाईट चालू बंद होना समझ में आया तो वह गिर गया था और उठकर देखा था, वहाँ एक मोटर सायकिल खड़ी थी, जिसमें आरोपी कोमल था। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये कथन से यह प्रकट होता है कि सामने से आने वाले वाहन के लाईट बंद-चालू होने से वह गिरा था। साक्षी चैनसिंह ने आरोपी कितनी तेजी से वाहन चलाया इसके बारे में नहीं बताया है तथा आरोपी के वाहन चलाने में अन्य किसी लापरवाही के बारे में साक्षी ने नहीं बताया है। प्रकरण के अन्य साक्षी अघहन अ.सा.01, ताराबाई अ.सा.02 ने घटना नहीं देखना बताया है। संतोष अ.सा.04, मोहपत अ.सा.05, बैरागसिंह अ.सा.06, नोहरसिंह अ.सा.07, मेवालाल अ.सा.08, जनमत अ.सा.09 ने भी आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाये जाने के बारे में नहीं बताये हैं। उक्त साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन



के मामले का समर्थन नहीं किये हैं। फलतः उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। जहाँ घटना के समय आरोपी द्वारा तेजी लापरवाही से दुर्घटना किया जाना प्रमाणित नहीं है, ऐसे में आरोपी को दुर्घटना के पश्चात घटनास्थल से वाहन को छोड़कर भागने, आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने और 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना न देने के आरोप में दोषसिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत अशोक पवार बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2009 (5) एम.पी. एच. टी. 405 म.प्र. तथा न्यायदृष्टांत राजेश बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2010(2) म.प्र. वी. नो. 114 अवलोकनीय है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 से 05:-**

20. येशुन्दलाल बाहेश्वर अ.सा.12 ने बताया है कि थाना परसवाड़ा के अपराध क्रमांक 48/12 धारा 279, 337 भा.द.वि. के मामले में उसने विवेचना के दौरान चालक के पास ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा न होने से उसने धारा 3/181, 146/196, 5/180 मोटर यान अधिनियम का ईजाफा किया था और वाहन मालिक वीरभद्र को भी आरोपी बनाया था। धारा-106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। घटना दिनांक को आरोपी कोमल के पास वाहन चलाने का लायसेंस था और वाहन बीमित था, इस तथ्य का ज्ञान आरोपीगण को भी था, किन्तु घटना दिनांक को वाहन चलाने का लायसेंस एवं वाहन का बीमा आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के आलोक में इस बात की उपधारणा की जायेगी कि आरोपी कोमल के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था और वाहन बीमित भी नहीं था। फलतः यह प्रमाणित होता है कि आरोपी कोमल ने बगैर लायसेंस एवं बीमा के घटना दिनांक को वाहन चालन किया था तथा आरोपी वीरभद्र ने आरोपी कोमल से बगैर बीमा व लायसेंस के वाहन का चालन करवाया था।

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कोमल ने दिनांक 10.05.2012 को समय शाम 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा ग्राम झिरिया लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0463 को

उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहत चैनसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटना के बाद वाहन को छोड़कर भाग गया एवं आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया एवं 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना नहीं दिया। फलतः आरोपी कोमल को धारा 279, 338 भा.दं.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 134/187 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी कोमल ने उक्त मोटर सायकिल को बगैर अनुज्ञा पत्र एवं बीमा के चालन किया तथा आरोपी वीरभद्र ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी कोमल के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होते हुए उसे अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने दिया।

22. फलतः आरोपी कोमल को धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी वीरभद्र को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोपों में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। फलतः आपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

क.	नाम आरोपीगण	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01.	कोमल पिता आनन्दीलाल पारधी, उम्र-38	3/181 मोटर यान अधिनियम	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	500/- रुपये	15 दिवस साधारण कारावास
02.	वीरभद्र पिता चन्दनलाल शरणागत, उम्र-50 साल	5/180 मोटर यान अधिनियम	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	1000/- रुपये	15 दिवस साधारण कारावास
03.	वीरभद्र पिता चन्दनलाल शरणागत, उम्र-50 साल	146/196 मोटर यान अधिनियम	न्यायालय अवधि अवसान कारावास	1000/- रुपये	15 दिवस साधारण कारावास

24. आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हों, उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे, जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी।

// 11 //

फाइलिंग नं.-234503000542012

आरोपीगण का पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

25. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक-एम.पी.-50. बी.ए.0463 वाहन के पंजीकृत स्वामी वीरभद्र शरणागत पिता चंदनलाल शरणागत निवासी ग्राम झिरिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट की सुपुर्दगी में है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित”

सही / -  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / -  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)